न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी– एम0पी0 मीना I.A.S.

अपील संख्या–03/2023 (सू0 का अधि0)

श्री राधेश्याम आत्मज हीरालाल पाटीदार निवासी जगपुरा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा

–प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06/12/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री राधेश्याम आत्मज हीरालाल पाटीदार निवासी जगपुरा तह0 रामगंजमण्डी जिला कोट (राज0) ने दिनांक 25.11.2022 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के यहॉ आवेदन पेश कर निम्न सूचना चाही गई थी–

उप निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक/ ई–3/ प–6(24) /2021 / 30916 दिनांक 01.11.2023 की अनुपालना में आप द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति ।

उपरोक्त सूचना नहीं मिलने पर आवेदनकर्ता द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जो दिनांक 17.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा से प्रकरण के सम्बन्ध में वांछित टिप्पणी एवं रेकार्ड तलबी हेतु पत्र क्रमांक/ रीडर/ डीएम/ 2023/265 दिनांक 25.07.2023 से लिखा जाने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपने पत्रांक/सूचना/2023/517 दिनांक 19.10.2023 से टिप्पणी भिजवाई गई है कि आवेदनकर्ता श्री राधेश्याम का आवेदन मूल ही प्रभारी अधिकारी भू–अभि0 कलेक्ट्रेट कोटा को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है । अब किसी तरह की कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, कृपया अपील निस्तारित करने का श्रम करें । अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है ।

हमने अपील मेमो एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । आवेदक अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग कले0 कोटा से सम्बन्धित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर द्वारा अपने पत्रांक/719 दिनांक 16.12.20222 से आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) में प्रकटन से प्रतिबंधित नहीं होने की स्थिति में प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग से प्राप्त कर सकते है । चूंकि प्रकरण धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख अनुभाग (एस0डी0ओ0 कोटा) को अन्तरित कर दी जाने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर कोटा के स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं होने से अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया गया ।

(एम0पी0मीना)
अपील अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, कोटा